FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजाखेड़ा

सरकार बनाम हरिमोहन

किस्म मुकदमा प्रा०पत्र 177 RTA नं. सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
15/2/2021	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी एवं पेशकार सरकार हाजिर। तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार राजाखेड़ा की ओर से यह प्रकरण, अन्तर्गत धारा 177 RTA विरुद्ध गैरसायल इन तथ्यों के साथ पेश किया गया है कि तहसील राजाखेड़ा के ग्राम सोनपुरा ब्राह्मण के आराजी ख० नं० 524 रकबा 1-00 बीघा, पर अप्रार्थी ने अप्रार्थी ने कृषि भूमि का बिना संपरिवर्तन कराये अवैध रूप से कृषि भूमि पर विवाह भवन का निर्माण कर लिया है। जिससे कृषि भूमि का अन्य व्यवसायिक प्रयोजन के लिए उपयोग कर रहा है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का उल्लंघन है। जिसके कारण उक्त भूमि के रकबा 05 बिस्वा को सिवायचक दर्ज करने की आज्ञा प्रदान की जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी अपने अभिभाषक के मार्फत न्यायालय में उपस्थित आया तथा अपना जवाब प्रा०पत्र पेश किया। साथ ही उनकी ओर से एक प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC भी पेश किया गया। बहस प्रा०पत्र 07 R 11 CPC पर सुनी गयी। वकील गैरसायलान अपनी बहस में प्रा०पत्र के कथनों को दोहराया कि प्रकरण में विवादित आराजी का बंटवारा नहीं हुआ है जिससे किसी विशिष्ट भू भाग पर कब्जा साबित नहीं होता है। उक्त आराजी के अप्रार्थी हरिमोहन के अलावा अन्य कई सहखातेदार हैं जिन्हें प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि आवश्यक पक्षकार है इसलिए प्रा०पत्र सिर्फ इसी से खारिज [illegible]	

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	हुक्म की तामील में जारी हुये
	अपनी बहस में प्रा०पत्र के तथ्यों को खण्डित करने के लिए कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं किये न ही कोई कानूनी आधार प्रस्तुत नहीं की केवल प्रा०पत्र के कथनों का खण्डन करते हुए प्रा०पत्र स्वीकार करने बाबत निवेदन किया।	

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी रिकार्ड खसरा गिरदावरी सं. 2022 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ख०न० 524 के कई खातेदार है एवं उनका अभी तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है। विवादित भूमि में विद्यालय भवन केवल अप्रार्थी हरिमोहन ने बनाया है एवं उसी का कब्जा है यह तथ्य किसी भी तरह साबित नहीं होता है तहसीलदार राजाखेड़ा का प्रकरण प्रस्तुत करते समय सभी खातेदारों को पक्षकार बनाकर ही यह प्रकरण प्रस्तुत करना चाहिए था जो उसने नहीं किया। अतः प्रा० पत्र विधि सम्मत नहीं है, विधि से बाधित है जो चलने योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम प्रा०पत्र 07 R11 CPC स्वीकार करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि प्रा० पत्र 07 R11 CPC स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राजाखेड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र 177 RTA इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। तहसीलदार चाहे तो नये तथ्यों के साथ पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। पत्रावली कैलाश कुमार रीडर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया। ह/

उप खण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा धौलपुर (राज.)